भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3691

मंगलवार, 11 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

स्टार्टअप्स का पंजीकरण

3691. श्री इमरान मसूदः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न और नवोन्मेषी कंपनियों के पंजीकरण, निवेश और अनुपालन से जुड़ी चुनौतियों का अप्रैल से जून 2026 के दौरान मूल्यांकन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त के संबंध में उद्योग जगत और निवेशकों से प्राप्त सुझावों की जांच की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने स्टार्टअप्स कंपनियों के लिए सांविधिक अनुपालनों को सरल और डिजिटलीकृत करने हेतु कोई नई पहल शुरू की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कारोबार में सुगमता और निवेश आकर्षण पर उक्त उपायों के प्रभाव का मूल्यांकन किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख): सरकार स्टार्टअप्स, निवेशकों और अन्य हितधारकों के साथ नियमित रूप से परामर्श से स्टार्टअप पंजीकरण, निवेश और विनियामक अनुपालन से संबंधित मुद्दों की निरंतर समीक्षा करती है। इन परामर्शों के आधार पर, स्टार्टअप इकोसिस्टम को सरल बनाने और निवेश माहौल को सुदृढ़ करने हेतु विभिन्न उपाय शुरू किए गए हैं।

तदनुसार, सरकार ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के उभरते स्वरूप और विविधता को बेहतर ढंग से प्रदर्शित करने के लिए अधिसूचना सा.का.नि. 108(अ), दिनांक 4 फरवरी 2026 के जरिए स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत स्टार्टअप्स को मान्यता प्रदान करने के दायरे और पात्रता मानदंडों का विस्तार किया है। प्रमुख संशोधन निम्नानुसार हैं:

i. कारोबार की सीमा में वृद्धि: वार्षिक कारोबार की वह सीमा जहां तक किसी स्टार्टअप को मान्यताप्राप्त 'स्टार्टअप' माना जा सकता है, उस सीमा को 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जिससे बढ़ते हुए उद्यम, स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत लाभ प्राप्त करते रहें।

ii. 'डीप टेक स्टार्टअप' श्रेणी की शुरुआत: विस्तारित पात्रता मानदंडों सहित उन्नत और उभरती प्रौद्योगिकियों पर कार्य करने वाले स्टार्टअप्स के लिए एक अलग श्रेणी शुरू की गई है:

क. अवधि सीमा: निगमन या पंजीकरण की तारीख से 20 वर्ष तक।
ख. कारोबार की सीमा: 300 करोड़ रुपए तक, जो डीप टेक्नोलॉजी उद्यमों से संबद्ध लंबी निर्माणावधि पूर्व और पूंजी सघनता को मान्यता प्रदान करती है।

iii. पात्र कंपनी श्रेणियों का विस्तार: बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सहकारी समिति अधिनियमों के तहत पंजीकृत सहकारी समितियां अब स्टार्टअप की मान्यता हेतु पात्र हैं, जो निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के अध्यधीन है।

राजपत्र अधिसूचना निम्नलिखित लिंक पर एक्सेस की जा सकती है:
https://egazette.gov.in/WriteReadData/2026/269843.pdf

ये संशोधन, स्टार्टअप्स, निवेशकों और संबंधित मंत्रालयों/विभागों सहित पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम के हितधारकों से परामर्श करने के बाद तैयार किए गए थे।

इसके अलावा, स्टार्टअप इंडिया पोर्टल और राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस) पर उपलब्ध पूर्णतया डिजिटल एप्लीकेशन प्रक्रिया के माध्यम से स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत स्टार्टअप की मान्यता को सरल बनाया गया है। मान्यता की प्रक्रिया, पंजीकरण को आसान बनाने हेतु स्व-प्रमाणन, सरल दस्तावेजीकरण प्रक्रिया और ऑनलाइन गाइडेंस सामग्री पर आधारित है।

इन उपायों के परिणामस्वरूप, 30 जून, 2026 तक की स्थिति के अनुसार डीपीआईआईटी द्वारा 2,40,092 कंपनियों को स्टार्टअप्स के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। इनमें से, 1 अप्रैल, 2026 से 30, जून 2026 की अवधि के दौरान 16,334 कंपनियों को स्टार्टअप्स के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

निवेश के संबंध में, स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत, सरकार ने हाल ही में सेबी-पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) के माध्यम से स्टार्टअप्स के

लिए उद्यम और वृद्धिशील पूंजी जुटाने हेतु अप्रैल, 2026 में 10,000 करोड़ रुपए के कॉर्पस से स्टार्टअप इंडिया निधियों का कोष 2.0 को प्रचालित किया है। इस स्कीम में डीप-टेक, माइक्रो वेंचर कैपिटल, विनिर्माण-केंद्रित और क्षेत्र/चरण-निरपेक्ष निधियों हेतु समर्पित श्रेणियां शामिल हैं और इसे भी स्टार्टअप्स, निवेशकों और अन्य इकोसिस्टम हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद डिज़ाइन किया गया था।

यह स्कीम, स्टार्टअप्स के लिए निधियों का कोष (एफएफएस 1.0) के अनुभव पर आधारित है, जिसके तहत सहायता प्राप्त एआईएफ ने 30 जून, 2026 तक की स्थिति के अनुसार 1,460 स्टार्टअप्स में 27,902.7 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसमें से, एआईएफ ने 1 अप्रैल, 2026 से 30 जून 2026 की अवधि के दौरान 33 स्टार्टअप्स में 921 करोड़ रुपए का निवेश किया।

इसके अलावा, निवेशकों और उद्योगजगत से परामर्श के आधार पर, सरकार निवेश इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने हेतु निरंतर उपाय करती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

i. उदारीकृत एफडीआई नीति: अधिकांश क्षेत्र स्वतःअनुमोदन मार्ग के तहत 100% एफडीआई के लिए खुले हैं, जिसमें 90% से अधिक एफडीआई अंतर्वाह इसी मार्ग के जरिए प्राप्त होता है।
ii. राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस): यह एक डिजिटल सिंगल-विंडो प्लेटफॉर्म है, जो निवेशकों को भारत में व्यवसाय स्थापित करने हेतु अपेक्षित अनुमोदनों और मंजूरी के लिए एक एकीकृत इंटरफेस उपलब्ध करवाता है।
iii. एफटीए/पीटीए का लाभ उठाना: सरकार राष्ट्रीय सुधार पहलों के अनुरूप हाल के मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) और वरीयता प्राप्त व्यापार समझौतों (पीटीए) का लाभ उठाकर निवेश और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को भी सुगम बना रही है।
iv. निवेश सुविधा के अन्य उपाय: मेक इन इंडिया, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार, उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीमें, भारतीय औद्योगिक भूमि बैंक, परियोजना मॉनीटरिंग समूह (पीएमजी), पीएम गतिशक्ति, और अन्य क्षेत्र-विशिष्ट पहलों से समग्र निवेश माहौल को सुदृढ़ कर रही हैं।

(ग) से (ङ): सरकार ने अनुपालन बोझ को कम करके, विनियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाकर और डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देकर एक पारदर्शी, पूर्वानुमान योग्य और निवेशक-अनुकूल विनियामक इकोसिस्टम तैयार करने हेतु अनुपालनों को

सरल और डिजिटल बनाने तथा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) में सुधार हेतु कई पहलें शुरु की हैं। इन पहलों का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

इसके अलावा, कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, स्टार्टअप्स को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत विभिन्न अनुपालन रियायतें और छूट भी प्रदान की जाती हैं। इसका विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, जैसा कि उत्तर के भाग (क) और (ख) में उल्लेख किया गया है, स्टार्टअप इंडिया पोर्टल और राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस) के माध्यम से स्टार्टअप को मान्यता प्रदान करने की प्रक्रिया को उत्तरोत्तर सरल और डिजिटल बनाया गया है, जिससे ऑनलाइन आवेदन, रीयल-टाइम ट्रैकिंग, स्व-प्रमाणन और सरलीकृत दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया सक्षम हो सकी है।

इन उपायों का प्रभाव स्टार्टअप इकोसिस्टम की निरंतर वृद्धि में परिलक्षित हुआ है। 30 जून, 2026 तक की स्थिति के अनुसार, डीपीआईआईटी द्वारा 2,40,092 कंपनियों को स्टार्टअप्स के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, जो अधिक पहुंच, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार और नवप्रयोग तथा निवेश हेतु अनुकूल वातावरण को दर्शाता है।

अनुबंध-I

दिनांक 11.08.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3691 के भाग (ग) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

देशभर में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) में सुधार हेतु डीपीआईआईटी द्वारा की गई पहलों का विवरण:

1. भारत सरकार ने वर्ष 2020 में मंत्रालयों/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गवर्नमेंट टु बिजनेस और नागरिक इंटरफेस को सरल, तर्कसंगत, डिजिटल बनाने और गैर-अपराधीकृत करते हुए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज़ ऑफ लिविंग में सुधार हेतु बोझिल अनुपालनों को कम करने के लिए व्यवसायों और नागरिकों हेतु एक प्रकार की विशिष्ट पहली पहल**, विनियामक अनुपालन बोझ (आरसीबी)** शुरू की। विनियामक अनुपालन बोझ (आरसीबी) पहल के तहत, डीपीआईआईटी नागरिकों और व्यवसायों पर अनुपालन बोझ को कम करने तथा प्रक्रियाओं को सरल, कानूनों को तर्कसंगत, प्रक्रियाओं के डिजिटाइजेशन तथा गौण अपराधों के गैर–अपराधीकरण जैसी चार प्रमुख रणनीतियों के माध्यम से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज़ ऑफ लिविंग को बढ़ाने हेतु विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मिलकर कार्य करता है। केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने स्वतः-पहचान कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसके परिणामस्वरूप 47,865 से अधिक अनुपालनों को कम किया गया। कुल कम किए गए अनुपालनों में से, 16,136 अनुपालनों को सरल बनाया गया है, 22,289 अनुपालनों को डिजिटल किया गया है, 5,170 अनुपालनों को गैर-अपराधीकृत किया गया है, और 4,270 अनुपालनों में अतिरेक को हटाया गया है। इसके अलावा, डीपीआईआईटी ने 42,000 से अधिक कम किए गए अनुपालनों का विश्लेषण किया और विभिन्न राज्यों में 670 से अधिक विशिष्ट अधिनियमों की मैपिंग की। इस विश्लेषण के आधार पर, आरसीबी प्लस पहल में 23 अधिनियमों को शामिल किया गया, जिसके तहत 10 से अधिक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अनुपालनों को कम किया है। आरसीबी प्लस पहल की शुरुआत 24 अक्टूबर, 2024 को की गई थी। अब तक, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा चिह्नित 7,882 अनुपालनों में से 5,429 को कम किया गया है।

2. वर्ष 2014 में **व्यवसाय सुधार कार्य योजना (बीआरएपी)** शुरू की गई थी ताकि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को व्यवसाय-केंद्रित विनियामकीय सुधारों को लागू करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा दिया जा सके। बीआरएपी एक सुव्यवस्थित सुधार फ्रेमवर्क उपलब्ध कराता है, जिसमें सिंगल विंडो प्रणाली, भूमि प्रशासन, श्रम विनियमन, निर्माण परमिट, पर्यावरणीय पंजीकरण, उपयोगिता सेवाओं हेतु परमिट, निरीक्षण, अनुबंधों का प्रवर्तन, सूचना की पारदर्शिता तथा क्षेत्र-विशिष्ट सुधार जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। इन सुधारों को अनुमोदन प्रक्रियाओं को सुचारू बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना, विनियामकीय दक्षता में सुधार करना तथा व्यवसायों की स्थापना एवं उनके प्रचालन में लगने वाले समय और लागत

को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। विगत वर्षों में, बीआरएपी के माध्यम से राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा हजारों व्यवसाय-अनुकूल सुधार कार्यान्वित किए गए हैं, जिससे देशभर में निवेश के लिए अधिक निवेश अनुकूल माहौल का निर्माण हुआ है।

3. निवेशकों संबंधी सुविधाओं को और सुदृढ़ करने के लिए, डीपीआईआईटी ने **राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा संस्थापित सिंगल विंडो प्रणाली** का व्यापक मूल्यांकन किया। इस मूल्यांकन के आधार पर, डीपीआईआईटी ने राज्य सिंगल विंडो प्रणाली संबंधी एक विस्तृत मार्गदर्शिका जारी की, जिसमें पारदर्शिता, सेवा प्रदायगी, उपयोगकर्ता अनुभव, विभागीय सेवाओं के साथ एकीकरण तथा अनुमोदनों की ऑनलाइन कार्यवाही करने में सुधार के लिए आठ अनिवार्य तथा पांच वांछनीय विशेषताएं निर्धारित की गई हैं। इन विशेषताओं का अनुपालन व्यवसाय सुधार कार्य योजना (बीआरएपी) 2026 फ्रेमवर्क का अभिन्न अंग है।

4. राज्य स्तर से परे, व्यावसायिक परिवेश में सुधार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, डीपीआईआईटी ने **जिला व्यवसाय सुधार कार्य योजना (जिला बीआरएपी)** भी तैयार की है। जिला व्यवसाय सुधार कार्य योजना का उद्देश्य विनियामक प्रशासन में सुधार, निवेशकों को बेहतर सुविधा प्रदान करने तथा सार्वजनिक सेवाओं की दक्षतापूर्ण उपलब्धता को बढ़ावा देकर जिला स्तर पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुदृढ़ करना है। इस फ्रेमवर्क का मुख्य फोकस व्यावसायिक अनुमोदनों एवं पंजीकरणों का शुरु से अंत तक डिजिटलीकरण, समयबद्ध निरीक्षण, पारदर्शी भूमि प्रशासन, जिला उद्योग केन्द्रों (डीआईसी) को निवेशक सुविधा केन्द्रों के रूप में सुदृढ़ करना, निवेश के लिए तैयार औद्योगिक पार्कों का विकास तथा विशेष रूप से टियर-II और टियर-III शहरों में उद्यमिता और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है। इस पहल का उद्देश्य जिला एवं राज्य प्राधिकरणों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना तथा जमीनी स्तर पर निवेश को सुगम बनाना है।

अनुबंध-II

दिनांक 11.08.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3691 के भाग (ग) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अनुसार, स्टार्टअप्स को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निम्नलिखित अनुपालन रियायत/छूट प्रदान की जाती हैं:

क्र.सं.	**धारा**	**विषय**	**स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 में प्रावधान**
1.	धारा 2(40)	वित्तीय विवरण	स्टार्टअप्स के लिए वित्तीय विवरण के भाग के रूप में नकदी प्रवाह विवरण की आवश्यकता वैकल्पिक है।
2.	धारा 73(2) खंड (क) से (ङ)	जमा राशियों की स्वीकृति	स्टार्टअप्स को अपने सदस्यों से जमा राशि स्वीकार करते समय प्रक्रियात्मक अनुपालन (जैसे कंपनी की वित्तीय स्थिति दर्शाने वाला परिपत्र जारी करना, क्रेडिट रेटिंग, परिपक्व जमा राशि की 20% राशि जमा करना, तथा पुनर्भुगतान में चूक संबंधी प्रमाणन) से छूट दी गई थी।
3.	धारा 92(1)	वार्षिक रिटर्न	यदि कंपनी के पास कंपनी सचिव नहीं है, तो स्टार्टअप के निदेशकों को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की वार्षिक रिटर्न पर हस्ताक्षर करने की अनुमति है।
4.	धारा 173(5)	बोर्ड की बैठकें	कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत, कंपनी के निदेशक मंडल को कम से कम प्रत्येक 120 दिनों में एक बार, अर्थात वर्ष में 4 बोर्ड की बैठकें आयोजित करना आवश्यक हैं। तथापि, स्टार्टअप्स को तिमाही बोर्ड बैठकें आयोजित करने से छूट दी गई है और उन्हें एक कैलेंडर वर्ष में दो बोर्ड बैठकें, अर्थात प्रत्येक छह माह में एक बार आयोजित करने की अनुमति है।
5.	कंपनी (निगमन) नियम, 2014 का नियम 6	ओपीसी का सार्वजनिक और प्राइवेट कंपनियों में बदलना	यह अपेक्षा कि किसी ओपीसी की प्रदत्त पूंजी 50 लाख रुपए से अधिक होने और उसका औसत वार्षिक कारोबार 2 करोड़ रुपए से अधिक होने पर उसे स्वयं को सार्वजनिक और प्राइवेट कंपनियों में बदलना होगा, इसका लोप कर दिया गया था। चूंकि कई

क्र.सं.	धारा	विषय	स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 में प्रावधान
			स्टार्टअप्स एक व्यक्ति वाली कंपनी (ओपीसी) हैं, इससे उन्हें ओपीसी का दर्जा बनाए रखने की अनुमति मिलती है।
6.	कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 का नियम 8(4)	स्वेट इक्विटी	सामान्यतः, किसी कंपनी में स्वेट इक्विटी शेयरों का निर्गमन किसी भी समय कंपनी की चुकता पूंजी के 25% से अधिक नहीं हो सकता। हालांकि, स्टार्टअप्स के मामले में, यह सीमा उसकी चुकता शेयर पूंजी के 50% तक है।
7.	कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 का नियम 12(1)(ग)	कर्मचारी स्टॉक विकल्प (ईएसओपी)	सामान्यतः, ऐसे कर्मचारी जो प्रमोटर हो या प्रमोटर ग्रुप से संबंधित व्यक्ति हो, तथा ऐसे निदेशक जो स्वयं या अपने रिश्तेदार अथवा किसी निकाय कॉर्पोरेट के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी की 10% से अधिक इक्विटी रखता हो, उसे ईएसओपी नहीं दिए जाते हैं। स्टार्टअप्स को प्रमोटर और निदेशकों को ईएसओपी जारी करने की अनुमति है।
8.	कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 का नियम 2(1)(ग)(xvii)	परिवर्तनीय नोट	स्टार्टअप्स किसी व्यक्ति से एक किश्त में परिवर्तनीय नोट (जो इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय हो या जारी करने की तिथि से दस वर्ष से अधिक की अवधि में पुनःभुगतान योग्य न हो) के माध्यम से 25 लाख रुपए या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर सकते हैं, और ऐसे लेनदेन को जमा राशि नहीं माना जाता है।
9.	कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 का नियम 3(3)	जमा राशियों की स्वीकृति	सामान्यतः कंपनियां अपने सदस्यों से कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी, फ्री रिजर्व और प्रतिभूति प्रीमियम खाते के 35% से अधिक जमा राशि स्वीकार या नवीनीकृत नहीं कर सकती। लेकिन स्टार्टअप्स को अपने सदस्यों से किसी भी सीमा तक जमा राशि स्वीकार करने की अनुमति दी गई है।
